(प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा समेकित कर एक प्रति जिला कल्याण पदाधिकारी को भेजी जानी है)

संशोधित प्रपत्र–III

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति छात्र/छात्राओं की प्रखंड स्तरीय समेकित उपस्थिति विवरणी

जिला.................................. अनुमण्डल................................ प्रखंड.............................

क्रमांक	विद्यालय का नाम	बैंक का नाम एवं शाखा	IFSC Code	खाता संख्या	75% प्रतिशत से अधिक उपस्थिति वाले अनु0 जाति छात्र/छात्राओं की संख्या			75% प्रतिशत से अधिक उपस्थिति वाले अनु0 जनजाति छात्र/छात्राओं की संख्या		
					वर्ग I-IV	वर्ग V-VI	वर्ग VII-X	वर्ग I-IV	वर्ग V-VI	वर्ग VII-X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कुल									

प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नामः

सील

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं0सं0–पि0व0 / छात्रवृत्ति–विविध–23 / 08–

प्रेषक,
सुनील कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–2150 दिनांक–21.12.12 द्वारा शिक्षा विभाग के पत्रांक–782 दिनांक–18.12.12 (अनुलग्नक सहित) प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु आपसे अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र–**III** के कॉलम–6, 7 एवं 8 में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है:–

पूर्व में प्रपत्र–**III** में अंकित	संशोधित
75% से अधिक उपस्थिति वाले पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं की संख्या	75% से अधिक उपस्थिति वाले अति पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं की संख्या

शेष कंडिका यथावत होगी।

शिक्षा विभाग का उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर www.bcebcwelfare.bih.nic.in पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक–782 दिनांक–18.12.12 (अनुलग्नक सहित), जिसकी प्रति आपको पूर्व में प्रेषित है, के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
ह0 24/12/12
(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0 / छात्रवृत्ति–विविध–23 / 08– 2159 पटना–15, दिनांक– 24-12-2012

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–782 दिनांक–18.12.12 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 24/12/12

सरकार के उप सचिव।